न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली।

सीएनआर नं0– यू.के.सी.एल.020003722022

प्रकीर्ण फौजदारी वाद संख्या – 87/2022

उत्तराखण्ड बनाम अनूप।

दिनांक : 06.07.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी न्यायालय में उपस्थित है। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी श्रीमती पूजा देवी को सुना गया। कार्यालय आख्या प्रस्तुत करें। पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

दिनांक : 06.07.2022

लंच बाद –

पत्रावली लंच बाद आदेश हेतु प्रस्तुत हुई।

2. थाना गोपेश्वर के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संक्षेप में कथन किया है कि वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल दिनांक 14.10.2018 से मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत थाने पर दाखिल किया गया है व चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली द्व ारा दिनांक 02.05.2019 को उक्त पत्रावली 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दाखिल दफ्तर की गयी। वाहन चालक एवं वाहन स्वामी को वाहन को अपने पक्ष में अवमुक्त कराने हेतु नोटिस दिया था। किन्तु उनके द्वारा उक्त वाहन को अपने पक्ष में अवमुक्त नहीं कराया गया। उक्त वाहन थाना प्रांगण में काफी समय से दाखिल है। धूप और बरसात में खड़े रहने के कारण वाहन की उपयोगिता कम होने की प्रबल सम्भावना है। अतः उपरोक्त वाहन के निलामी के आदेश पारित करने की कृपा करें।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज करने के उपरान्त वाहन स्वामी/कब्जेदार को नोटिस प्रेषित किया गया।

4. वाहन चालक एवं पंजीकृत वाहन स्वामी का पता तस्दीक नहीं हो पाया।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण में मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या थाना गोपेश्वर के भारसाधक अधिकारी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल के नीलामी/विक्रय किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए?

7. प्रार्थना पत्र पर सुनने तथा पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल को पुलिस द्वारा धारा 207 मोटर यान अधिनियम, 1988 में चालान किया गया है तथा चालानी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तदुपरान्त अभियुक्त को समन भेजा गया। अभियुक्त उपस्थित नहीं आया। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दाखिल दफ्तर की गयी। इसके अतिरिक्त इस सन्दर्भ में सम्बन्धित लिपिक द्वारा भी आख्या दी गयी है कि वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल से सम्बन्धित मूल पत्रावली 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दाखिल दफ्तर किया जा चुका है। वाहन चालक एवं पंजीकृत वाहन स्वामी का पता तस्दीक नहीं हो पाया।

इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य दावेदार द्वारा न्यायालय द्वारा पारित उद्घोषणा के अनुपालन में उपस्थित नहीं हुआ। प्रश्नगत वाहन लगभग 4 वर्ष से सम्बन्धित थाने में निरूद्ध है, जिससे उसके मूल्य में लगातार ह्रास हो रहा है। इस संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुंदर भाई अम्बा लाल देसाई प्रति गुजरात राज्य (2002) 10 एस.सी.सी.290** में अवधारित किया गया है कि सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा उचित आदेश अविलम्ब पारित किया जाना चाहिए।

8. इस प्रकार वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल के वाहन चालक एवं वाहन स्वामी स्वयं वाहन निर्मुक्त नहीं कराना चाहते हैं। वाहन काफी समय से सम्बन्धित थाने में निरूद्ध है। सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या से यह भी दर्शित नहीं होता है कि यह वाहन किसी अन्य मामले में वांछित हो। इस न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया

संहिता 1973 की धारा 457 एवं 458 के उपबन्धों के प्रभाव से वाहन को नीलाम आदि करने के सन्दर्भ में आदेश पारित किया जा सकता है।

9. अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों, परिस्थितियों एवं विधिक उपबन्धों, विधि निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित थाने के भारसाधक अधिकारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाहन संख्या DL-9-SR-8646 मोटर साइकिल को नीलाम/विक्रय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्राधिकारियों की समिति गठित की जाती है–

1. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग–चमोली। – अध्यक्ष।
2. थानाध्यक्ष गोपेश्वर। – सदस्य।
3. मुख्य कोषाधिकारी चमोली, अथवा उनके द्वारा नामित अन्य अधिकारी। – सदस्य।

समिति के सभी सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि वह अविलम्ब उपरोक्त वाहन की नियामानुसार निलामी/विक्रय की कार्यवाही कर उससे प्राप्त आगम को नियमानुसार उत्तराखण्ड राज्य के राजकोष में जमा करें एवं इसकी सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करें।

कार्यालय के भारसाधक लिपिक को आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की एक–एक प्रति समिति के सभी सदस्यों को अविलम्ब अनुपालनार्थ प्रेषित करें।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 16.07.2022 को प्रस्तुत हो।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।